



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012020-215643
CG-DL-E-22012020-215643

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2020/माघ 2, 1941

No. 35]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2020/MAGHA 2, 1941

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी 2020

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020

(2020 का सं. 1)

सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2020 का सं. 1).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम 2016 (2016 का 18), यथा संशोधित आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 14), की धारा 54 की उप-धारा (1) एवं धारा 54 की उप-धारा (2) के खंड (भ) के साथ पठित धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के नियमन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

अध्याय I

प्रस्तावना

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन विनियमों में जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “अधिनियम” से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18), यथा संशोधित आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 14) द्वारा, अभिप्रेत है;

(ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” से मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे प्राधिकरण द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शक्तियां और कार्य प्रत्यायोजित किए गए हों, अभिप्रेत है;

- (ग) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (घ) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ङ) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से अधिनियम की धारा 18 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;
- (च) "पद" से इस विनियम की अनुसूची में उल्लिखित श्रेणी में कोई पद चाहे वह स्थायी या अस्थायी हो, अभिप्रेत है;
- (छ) "चयन समिति" से किसी ग्रेड में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, आमेलन, प्रोन्नति और प्रतिनियुक्ति के लिए चयन पर विचार करने हेतु इन विनियमों की अनुसूची के अनुसार गठित समिति अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयोग किए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम के अधीन उनके लिए क्रमशः विहित किया गया है।

(3) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, जहां कहीं भी संदर्भ द्वारा अपेक्षित हो, पुल्लिंग के लिए आए शब्द 'वह', 'उसे' 'उसका' और 'वह स्वयं' स्त्रीलिंग के 'वह', 'उसे' 'उसका' और 'वह स्वयं' के लिए भी संदर्भित होंगे और एकवचन में बहुवचन भी शामिल होगा।

3. लागू करने की शक्ति.—(1) इन विनियमों को लागू करने की शक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसे अधिकारी के पास निहित होंगी, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(2) उप-विनियम (1) के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियां किसी भी उच्चतर इकाई, जिसमें उच्च वरीयता के अधिकारी शामिल हैं, द्वारा भी प्रयोग की जा सकती हैं।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या वह अधिकारी जिसके पास ऐसी शक्तियां निहित हैं, इन विनियमों के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न सभी परिवादों, शिकायतों, विवादों और इस तरह के अन्य मामलों पर निर्णय लेने के उत्तरदायी होगा:

परंतु यह कि निर्णय से क्षुब्ध कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसे निर्णय के विरुद्ध निर्णय सूचित करने के पैंतालिस दिन के भीतर निम्न के समक्ष अपील कर सकते हैं -

(क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जहां उनसे अधीनस्थ अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश पारित किए गए हों, या

(ख) प्राधिकरण, जहां ऐसा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो:

बशर्ते यह भी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकरण की उस बैठक में भाग नहीं लेंगे, जहां उनके निर्णय के विरुद्ध की गई अपील पर निर्णय लिया जा रहा हो।

4. अधिकारियों और कर्मचारियों के संवर्ग का गठन.—(1) अधिकारियों और कर्मचारियों के संवर्ग में:

(क) ऐसा व्यक्ति जिसको विनियम 5 के अधीन प्राधिकरण के संवर्ग के प्रारंभिक गठन के समय आमेलित किया गया हो; और

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसको विनियम 7, 8 और 9 के अधीन संवर्ग के प्रारंभिक गठन के बाद पद पर नियुक्त किया गया हो; सम्मिलित होगा।

(2) इस विनियम के उप-विनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी नियुक्ति के साथ प्राधिकरण में उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि अथवा 12 जुलाई 2016, जो भी बाद में हो, से उनसे संबद्ध उचित श्रेणी में संवर्ग का सदस्य माना जाएगा।

(3) इस विनियम के अधीन प्राधिकरण में नियुक्ति के समय वेतन सामान्यतया केंद्र सरकार के संबंधित नियमों, विनियमों या निर्देशों के अनुसार जैसा कि नियुक्त किए गए व्यक्ति पर लागू हो या वेतन मैट्रिक्स में संबंधित स्तर में न्यूनतम वेतन पर विहित किया जाएगा। तथापि, चयन समिति की अनुशंसा पर प्राधिकरण वरिष्ठता तथा पहले से प्राप्त कर रहे वेतन, उच्च शैक्षणिक योग्यता या प्राधिकरण के महत्व का विशेष अनुभव को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त वेतन वृद्धि देकर स्तर के उच्चतर बिन्दु, जो कि ग्रेड में नियुक्ति के लिए तय किए गए वेतन मैट्रिक्स स्तर में चार से अधिक न हो, पर विहित कर सकता है।

अध्याय II

भर्ती की पद्धतियां

5. संवर्ग का प्रारंभिक गठन.—(1) संवर्ग प्रारंभ में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से गठित किया जाएगा, जो इस संवर्ग के गठन के ठीक पहले अनुसूची में सूचीबद्ध कोई पद धारित कर रहे हों, यदि उक्त पद अनुसूची में आमेलन के लिए उपलब्ध है। आमेलन के लिए प्रस्ताव ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो इन विनियमों की अनुसूची के अंतर्गत किसी पद

को संभाल रहे हैं, और ऐसे अधिकारी या कर्मचारी द्वारा विकल्प का उपयोग करने पर, प्राधिकरण यहां निहित प्रावधानों के अधीन आमेलन पर विचार करेगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को आमेलन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसा व्यक्ति:

(क) प्राधिकरण में निरंतर सेवा के तीन साल पूरे न कर चुका हो; तथा

(ख) अनुशासनात्मक और सतर्कता मामलों से मुक्त न हो।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी उल्लिखित उप-विनियम (1) में संदर्भित किसी व्यक्ति को आमेलित कर सकता है :-

(क) चयन समिति की अनुशंसा पर और ऐसे व्यक्ति की सापेक्षिक योग्यता, उपयुक्तता व प्राधिकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए; और

(ख) उनके मूल मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सांविधिक या स्वायत्त निकाय, जैसा भी मामला हो, के साथ ऐसे व्यक्तियों के आमेलन हेतु परामर्श करके।

(4) किसी व्यक्ति की सापेक्षिक योग्यता, उपयुक्तता और आवश्यकता के निर्धारण के लिए:

(क) चयन समिति के समक्ष ऐसे पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों, जिन्होंने आमेलन के विकल्प का उपयोग किया हो, का पिछला अनुभव, निष्पादन रिपोर्ट, सतर्कता स्थिति, असाधारण योगदान आदि दर्शाते हुए संक्षिप्त विवरण विचारार्थ रखा जाएगा; तथा

(ख) लघुसूची में रखे गए अधिकारियों और कर्मचारियों को, प्राधिकरण में उनकी सेवा के दौरान किए गए पांच असाधारण योगदानों पर, संक्षिप्त विवरण चयन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करना होगा।

(5) प्राधिकरण, उल्लिखित आमेलन के लिए समय-समय पर जैसा उचित समझे, अन्य शर्तें निर्धारित कर सकती है।

(6) इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले प्राधिकरण में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा की इस विनियम के प्रयोजन हेतु नियमित सेवा के रूप में गणना की जाएगी।

6. भर्ती की पद्धति.—(1) संवर्ग के प्रारंभिक गठन के पश्चात, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी श्रेणी में यदि कोई रिक्ति उत्पन्न होती है या किसी श्रेणी में यदि कोई नया पद सृजित होता है तो उसे अनुसूची में दी गई प्रणाली से भरा जाएगा।

(2) इस विनियम के खंड (1) के अधीन प्रत्येक मामले में चयन अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट चयन समिति की अनुशंसा पर किया जाएगा।

(3) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर विहित कर सकते हैं:-

(क) विभिन्न माध्यमों से रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट मानदंडों के अतिरिक्त पात्रता मानदंड; तथा

(ख) नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए कार्यविधि, जब तक अन्यथा इन विनियमों में उपबंधित नहीं किया गया है।

7. सीधी भर्ती.— सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चयन निम्न विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:

(क) भरे जाने वाली रिक्तियों को कम से कम दो प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों और प्राधिकरण की वेबसाइट पर विज्ञापित किया जाएगा।

(ख) अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए या उसे ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित होना चाहिए, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

(ग) वह व्यक्ति -

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का करार किया है, जिसकी पहले से ही पत्नी/पति जीवित है, या

(ii) जिसने एक पत्नी/पति के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का करार किया है, प्राधिकरण में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते यह कि प्राधिकरण यदि इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(घ) सीधी भर्ती द्वारा संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

(ङ) प्राधिकरण के संवर्ग में शामिल और अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं व अनुभव रखने वाले अधिकारी व कर्मचारी भी सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के लिए पदों के आरक्षण पर केंद्र सरकार के वर्तमान में लागू आदेश और नीतियां इन पदों पर लागू होंगी।

(छ) प्राधिकरण या केंद्र या राज्य सरकार या संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्मचारी जो आवेदन करने की अंतिम तारीख को नियमित और लगातार पांच वर्ष की सेवा कर चुके हैं, ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष की छूट के पात्र होंगे।

(ज) विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तिथि तक प्राप्त न होने वाले आवेदनों या विहित शर्तों को पूरा न करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(झ) शेष आवेदन पत्रों में से, प्राधिकरण अभ्यर्थियों की लघुसूची बनाएगा, जिन्हें चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा या तकनीकी मूल्यांकन या साक्षात्कार या इन सबका सम्मिश्रण या चयन समिति द्वारा यथा विहित अन्य कोई प्रक्रिया शामिल हो सकता है।

बशर्ते कि प्राधिकरण तकनीकी अधिकारी और सहायक निदेशक (प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की लघु-सूची के लिए प्रासंगिक विषय में ग्रेजुएट एण्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) के अंक का उपयोग कर सकता है।

(ञ) अभ्यर्थियों का अंतिम चयन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर किया जाएगा। चयन समिति चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी के निष्पादन, उसकी शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव और ऐसे अन्य मापदण्ड, जो इसके द्वारा उचित समझे जाएं, को यथोचित महत्व देगी।

(ट) नियुक्ति प्राधिकारी चयनित अभ्यर्थियों के नामों की सूची, उनके चयन प्रक्रिया में निष्पादन के अनुसार अनुरक्षित करेंगे, जिन्हें संबंधित पदों पर भावी रिक्तियों पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जा सकता है। नामों की ऐसी कोई सूची, यदि तैयार और अनुरक्षित की गई है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसके अनुमोदन के दिन से बारह महीने की अवधि तक के लिए मान्य रहेगी।

(ठ) ऐसा अभ्यर्थी, जो प्राधिकरण द्वारा विहित चिकित्सा परीक्षण के बाद, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाता है और किसी प्रकार के मानसिक व शारीरिक कमी, जिसकी वजह से सेवा के कार्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न होती हो, से मुक्त न हो, को पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी के शारीरिक परीक्षण किए जाने के तथ्य का यह अर्थ या अंतर्निहित नहीं है कि उसकी नियुक्ति पर विचार किया ही जाएगा।

8. संवर्ग गठन के बाद स्थायी आमेलन.—नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर प्राधिकरण में पहले से नियुक्त और अनुसूची में सूचीबद्ध कोई भी पद धारित ऐसे व्यक्ति को विनियमन 5 के उप-विनियमन (2) से (4) में दी गयी शर्तों और प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उपयुक्त आदेश द्वारा स्थायी आमेलन के आधार पर नियुक्त कर सकते हैं।

9. प्रोन्नति.—(1) विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अवर श्रेणियों में से की जाएगी।

(2) सभी प्रोन्नतियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर अनुसूची के अनुसार उपलब्ध स्वीकृत पदों के समक्ष उपयुक्तता और सापेक्षिक योग्यता के आधार पर की जाएगी।

बशर्ते कि प्रोन्नति के लिए किसी कर्मचारी की उपयुक्तता और सापेक्षिक योग्यता का आकलन करने के लिए कर्मचारी का उस पद या श्रेणी, जहां से उसे प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, में प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा और प्राधिकरण, पात्र अधिकारियों के पिछले अनुभव, निष्पादन रिपोर्ट, सतर्कता स्थिति, असाधारण योगदान आदि दर्शाते हुए संक्षिप्त विवरण चयन समिति के विचारार्थ तैयार करेगा।

बशर्ते कि योग्य उम्मीदवारों के बीच प्रोन्नति के लिए विचार क्षेत्र उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का तीन गुना होगा और प्रोन्नति के लिए रिकॉर्ड की उपलब्धता के आधार पर ऐसे सभी उम्मीदवारों पर एक समान अवधि, जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, के रिकॉर्ड के आधार पर विचार किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार का निर्धारित अवधि का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो ऐसे उम्मीदवार के उक्त निश्चित अवधि से पहले के प्रथम वर्ष के रिकॉर्ड पर विचार किया जाएगा। यदि निश्चित अवधि से पहले प्रथम वर्ष के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, तो निश्चित अवधि से पहले के दूसरे वर्ष के रिकॉर्ड पर विचार किया जाएगा। यह सिद्धांत उन सभी वर्षों के लिए लागू किया जाएगा जिनके लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। यदि उपर्युक्त के अनुसार, उपलब्ध रिक्ति/रिक्तियों की तुलना में विचार क्षेत्र का गठन करने के लिए उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं है, तो सभी अधिकारी जो अन्यथा उपलब्ध हैं, पर विचार किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि स्तर 11 तक के पदों पर पदोन्नति, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित बेंचमार्क के अनुसार, वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर की जाएगी। इससे पिछले परंतुक के प्रावधान स्तर 11 तक के पदों पर पदोन्नति के लिए भी लागू होंगे।

10. वरिष्ठता.—(1) संवर्ग के प्रारंभिक गठन के समय किसी श्रेणी में नियुक्त संवर्ग के सदस्यों की संगत वरिष्ठता प्राधिकरण द्वारा विहित की जाएगी और जब तक कि विशेष कारणों से अन्यथा निर्णय न लिया गया हो, इस विनियम के प्रारंभ होने की तारीख को प्राप्त संगत वरिष्ठता द्वारा विनियमित होगी।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति या अन्य प्रकार से लिया गया हो और बाद में उसे आमेलित किया गया हो, उसकी उस पद या श्रेणी जिसमें उसे आमेलित किया गया है, में वरिष्ठता की गणना सामान्यतया आमेलन का आदेश जारी होने की तारीख से की जाएगी। तथापि, यदि वह अपने मूल विभाग में पहले से ही (आमेलन की तारीख को) समरूप या समतुल्य पद या श्रेणी में नियमित आधार पर धारण कर रहा हो, उस पद या श्रेणी में ऐसी नियमित सेवा का भी उसकी वरिष्ठता के निर्धारण में विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उन्हें वरिष्ठता तब से दी जाएगी-

(क) उस तारीख जब से वह प्रतिनियुक्ति या अन्य प्रकार से पद धारण कर रहा है, या

(ख) उस तारीख जब से उसे अपने मूल विभाग में समरूप या समतुल्य पद या श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है,

जो भी पहले हो:

बशर्ते कि स्थानांतरी की वरिष्ठता का निर्धारण उपर्युक्त सिद्धांत के अनुसार होगा, तथापि, यह ऐसे आमेलन की तारीख से पहले श्रेणी में की गई किसी नियमित प्रोन्नति को प्रभावित नहीं करेगा:

बशर्ते और कि एक समान स्थिति के आमेलित व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता चयन समिति द्वारा प्रदत्त योग्यता क्रम से निर्धारित होगा।

(3) सभी सीधी भर्तियों की सापेक्षिक वरिष्ठता उस योग्यता के क्रम द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसमें उन्हें एक विशिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया है। पूर्व के चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्ति आगामी चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ रैंक के होंगे।

(4) ऐसे प्रोन्नतों की वरिष्ठता, जहां प्रोन्नति चयन समिति की अनुशंसा पर की जाती है, उस क्रम में होगी जिसमें उन्हें समिति द्वारा इस तरह के प्रोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया है। जहां प्रोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, अस्वीकृत अयोग्य के अतिरिक्त, प्रोन्नति के लिए योग्य माने जाने वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता निम्न श्रेणी, जिससे वे प्रोन्नत होते हैं, की सापेक्षिक वरिष्ठता के समान होगी। हालांकि, जहाँ एक व्यक्ति जिसे प्रोन्नति लिए अयोग्य माना जाता है और एक कनिष्ठ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और वैसा व्यक्ति यदि बाद में योग्य पाया जाता है और प्रोन्नत होता है तो वह उच्च ग्रेड में वैसा कनिष्ठों, जिन्होंने उसे प्रतिस्थापित किया है, के ऊपर वरिष्ठता नहीं प्राप्त करेगा।

(5) उपर्युक्त उपबंधों में शामिल नहीं होने वाले अधिकारी या कर्मचारी की वरिष्ठता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की जाएगी।

(6) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष अपने सेवारत कर्मचारियों का उनके वरिष्ठता के क्रम में उनके नाम के साथ ऐसे अन्य व्योरों, जो नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित करे, को दर्शाते हुए एक सूची तैयार करेगा और ऐसी सूची की एक प्रति प्रत्येक कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

11. प्रतिनियुक्ति.-(1) प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने वाले पदों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों, जिनके पास प्राधिकरण की आवश्यकताओं के अनुकूल अर्हताएं व अनुभव रखने वाले व्यक्ति उपलब्ध होने की संभावना हो और वे प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक हों, के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा।

(2) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन चयन समिति की अनुशंसा पर किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण में इन विनियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर की गई सभी नियुक्तियां प्रारंभ में अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए होंगी, जिसे ऐसी अवधि और इस प्रकार से बढ़ाया जा सकेगा, जैसा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए।

12. परिवीक्षा.-(1) वेतन के निर्दिष्ट स्तर में किसी पद पर सीधे नियुक्त या एक समूह से दूसरे में प्रोन्नत अधिकारी या कर्मचारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह इसे आवश्यक समझे, लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके असंतोषजनक कार्यनिष्पादन पर परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं या लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके परिवीक्षा की अवधि को कम या समाप्त कर सकते हैं।

(3) इस विनियम में जैसे अन्यथा उपबंधित किया गया हो को छोड़, कोई अधिकारी या कर्मचारी उस पद पर जिसमें उसे नियुक्त या प्रोन्नत, जैसा भी मामला हो, किया गया हो, परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर स्थायीकृत माना जाएगा।

(4) यदि किसी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो, बिना कोई कारण बताए उसे एक माह का नोटिस देकर या इस अवधि के बदले एक माह का वास्तविक वेतन भुगतान करके, जैसे भी मामला हो, प्राधिकरण की सेवा से हटाया जा सकता है या निम्नतर पद पर पदावनत किया जा सकता है।

13. **संविदात्मक नियुक्ति.**—(1) अनुबंध के आधार पर भरे जाने वाले पदों को प्राधिकरण द्वारा विहित निबंधन एवं शर्तों और योग्यता मानदंडों के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के लिए भरा जाएगा।

(2) संविदात्मक नियुक्ति केवल कार्य की अनिवार्यता में अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाएगी।

14. **कतिपय मामलों में उच्चतर श्रेणी और निम्नतर श्रेणी के कार्यों का निर्वहन.**— सक्षम प्राधिकारी सेवाओं की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा निर्देशित कर सकते हैं कि -

(क) कोई अधिकारी या कर्मचारी एक व्यक्तिगत पद या उत्तरदायित्व को जारी रखते हुए, ऐसी अवधि के लिए जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो, बिना किसी भी वित्तीय लाभ के अगले उच्च ग्रेड का कार्य निर्वहन करे; या

(ख) कोई अधिकारी या कर्मचारी, जोकि संवर्ग में उच्चतर पद से संबद्ध है, ऐसे पद पर रहते हुए बिना किसी वित्तीय या अन्य हानि के उससे ठीक निम्नतर श्रेणी के पद से संबंधित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे।

अध्याय III

विविध

15. **शिथिल करने की शक्ति.**— प्राधिकरण, जहाँ उसकी यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

16. **व्याख्या.**— इस विनियम के क्रियान्वयन से संबंधित यदि कोई प्रश्न उठते हैं, उन पर प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

17. **कठिनाईयों का निराकरण.**— प्राधिकरण इस विनियम के उपबंधों के संचालन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण के लिए, समय-समय पर ऐसे सामान्य या विशिष्ट निर्देश, जो आवश्यक हों, जारी कर सकेगा।

अनुसूची

(विनियम 5, 6, 7, 8 और 9 देखें)

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
उपमहानिदेशक	17* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	1. 33% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. 33% प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा 3. शेष प्रतिनियुक्ति द्वारा या संविदा आधार पर	लागू नहीं	लागू नहीं	1. प्रोन्नति - प्राधिकरण में सहायक महानिदेशक अथवा सहायक महानिदेशक (प्रौद्योगिकी) के रूप में न्यूनतम चार वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 या इससे अधिक में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो। या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	1. प्राधिकरण 2. वाह्य विशेषज्ञ, यदि समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाए

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
सहायक महानिदेशक	42* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	1. 33% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. 33% प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा 3. शेष प्रतिनियुक्ति द्वारा या संविदा आधार पर	लागू नहीं	लागू नहीं	1. प्रोन्नति - प्राधिकरण में उपनिदेशक के रूप में न्यूनतम आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 या इससे अधिक में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.-अध्यक्ष 2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक-सदस्य 3. बाह्य विशेषज्ञ, यदि समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाए
उपनिदेशक	42* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	1. 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. शेष प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अधिकतम: 45 वर्ष	1. किसी भी विषय में स्नातक के साथ सरकारी एजेंसियों से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से निम्न में से कोई भी व्यावसायिक डिग्री: (क) व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर/व्यवसाय प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, (ख) कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर, (ग) चार्टरित लेखाकार (घ) प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार, (ङ) विधि स्नातक (एल.एल.बी.), (च) जनसंचार में स्नातकोत्तर, (छ) (क) से (च) तक के लिए समतुल्य डिग्री (ज) प्राधिकरण के	1. प्रोन्नति - प्राधिकरण में अनुभाग अधिकारी के रूप में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 या इससे अधिक में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.-अध्यक्ष 2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक-सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
				<p>कार्यों से संबंधित कोई भी अन्य व्यावसायिक डिग्री, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाए।</p> <p>या</p> <p>इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में सरकारी एजेंसियों से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से चार वर्षीय डिग्री।</p> <p>2. शैक्षिक अर्हता प्राप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र में छह वर्ष का कार्यानुभव।</p>	नियमित पद धारण किए हों। (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
अनुभाग अधिकारी	59* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	<p>1. 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p> <p>2. शेष प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p>	अधिकतम: 35 वर्ष	<p>किसी भी विषय में स्नातक तथा शैक्षिक अर्हता प्राप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का कार्यानुभव।</p> <p>या</p> <p>किसी भी विषय में स्नातक के साथ सरकारी एजेंसियों से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से निम्न में कोई भी व्यावसायिक डिग्री तथा शैक्षिक अर्हता प्राप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का कार्यानुभव:</p> <p>(क) व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर/ व्यवसाय प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा,</p> <p>(ख) कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर,</p> <p>(ग) चार्टरित लेखाकार</p> <p>(घ) प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार,</p> <p>(ङ) विधि स्नातक (एल.एल.बी.),</p>	<p>1. प्रोन्नति – प्राधिकरण में सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>या</p> <p>(ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों।</p> <p>(iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।</p>	<p>1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष</p> <p>2. दो सहायक महानिदेशक-सदस्य</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
				(च) जनसंचार में स्नातकोत्तर (छ) (क) से (च) तक के लिए समतुल्य डिग्री (ज) प्राधिकरण के कार्यों से संबंधित कोई भी अन्य व्यावसायिक डिग्री, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाए।		
सहायक अनुभाग अधिकारी	54* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अधिकतम: 35 वर्ष	1. किसी भी विषय में स्नातक 2. कंप्यूटर में न्यूनतम छह माह का प्रमाणपत्र 3. शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष का संबंधित कार्यानुभव।	प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो सहायक महानिदेशक-सदस्य
सहायक महानिदेशक (प्रौद्योगिकी)	9* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	1. 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. शेष प्रतिनियुक्ति द्वारा या संविदा आधार पर	लागू नहीं	लागू नहीं	1. प्रोन्नति - प्राधिकरण में सहायक महानिदेशक (प्रौद्योगिकी - उप सचिव स्तर) के रूप में न्यूनतम चार वर्ष की नियमित सेवा की हो। या प्राधिकरण में उपनिदेशक (प्रौद्योगिकी) के रूप में न्यूनतम आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.-अध्यक्ष 2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक-सदस्य 3. बाह्य

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 या इससे अधिक में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों।</p> <p>(iii) सरकारी एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की चार साल की डिग्री या कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>(iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।</p>	विशेषज्ञ, यदि समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाए
सहायक महानिदेशक (प्रौद्योगिकी - उप सचिव स्तर)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	<p>1. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 या इससे अधिक में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों।</p> <p>(iii) सरकारी एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की चार साल की डिग्री या कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिग्री।</p>	<p>1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.-अध्यक्ष</p> <p>2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक-सदस्य</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
					(iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
उपनिदेशक (प्रौद्योगिकी)	10* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	1. 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. शेष प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अधिकतम: 45 वर्ष	1. सरकारी एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की चार साल की डिग्री या कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिग्री। 2. शैक्षिक अर्हता प्राप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र में छह वर्ष का कार्यानुभव।	1. प्रोन्नति - प्राधिकरण में सहायक निदेशक (प्रौद्योगिकी) के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 या इससे अधिक में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करता हो। (iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.-अध्यक्ष 2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक-सदस्य
सहायक निदेशक (प्रौद्योगिकी)	10* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	1. 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. शेष सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	अधिकतम: 30 वर्ष	सरकारी एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की चार साल की डिग्री या कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिग्री।	1. प्रोन्नति - प्राधिकरण में तकनीकी अधिकारी के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो;	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.-अध्यक्ष 2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक-सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
					<p>या</p> <p>वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>या</p> <p>वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>या</p> <p>(ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों।</p> <p>(iii) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करता हो।</p> <p>(iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।</p>	
तकनीकी अधिकारी	14* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अधिकतम: 35 वर्ष	सरकारी एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की चार साल की डिग्री या कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिग्री।	<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों;</p> <p>या जिन्होंने</p> <p>वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>या</p> <p>वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>या</p> <p>(ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों।</p> <p>(iii) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करता हो।</p> <p>(iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।</p>	<p>1. उप-महानिदेशक - अध्यक्ष</p> <p>2. दो सहायक महानिदेशक-सदस्य</p>
वरिष्ठ लेखा अधिकारी	10* (2020) * कार्यभार के आधार पर	1. 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	<p>1. प्रोन्नति - प्राधिकरण में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो</p>	<p>1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.</p> <p>प्रा.-अध्यक्ष</p> <p>2. भा.वि.प.</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
	परिवर्तनीय	2. शेष प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा			अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) चार्टरित लेखाकार/ लागत लेखाकार/ व्यवसाय प्रशासन स्नातकोत्तर (विल्ट) की व्यावसायिक अर्हताएं; या केंद्र/राज्य सरकार के संगठित लेखा संवर्ग की अधीनस्थ लेखा सेवा/समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो या आईएसटीएम द्वारा आयोजित रोकड़ एवं लेखा कार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो; (iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	प्रा के दो उपमहानिदेशक- सदस्य
सहायक लेखा अधिकारी	10* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	1. 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. शेष प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अधिकतम 45 वर्ष	1. वाणिज्य स्नातक 2. शासपत्रित लेखाकार/लागत लेखाकार/ व्यवसाय प्रशासन (विल्ट) में स्नातकोत्तर की व्यावसायिक अर्हताएं या केंद्र/राज्य सरकार के संगठित लेखा संवर्ग की अधीनस्थ लेखा सेवा/समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो 3. लेखा संबंधी कार्य करने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	1. प्रोन्नति - प्राधिकरण में लेखाकार के रूप में न्यूनतम आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो सहायक महानिदेशक- सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
					<p>या</p> <p>(ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों।</p> <p>(iii) चार्टरित लेखाकार/ लागत लेखाकार/व्यवसाय प्रशासन स्नातकोत्तर(वित्त)की व्यावसायिक अर्हताएं;</p> <p>या</p> <p>केंद्र/राज्य सरकार के संगठित लेखा संवर्ग की अधीनस्थ लेखा सेवा/समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो</p> <p>या</p> <p>आईएसटीएम द्वारा आयोजित रोकड़ एवं लेखा कार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो;</p> <p>या</p> <p>लेखा संबंधी कार्य करने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>(iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।</p>	
लेखाकार	12* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रतिनियुक्ति - सह-आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अधिकतम 30 वर्ष	1. वाणिज्य स्नातक	<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों;</p> <p>या जिन्होंने</p> <p>वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>या</p> <p>वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>या</p> <p>(ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों;</p>	<p>1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष</p> <p>2. दो सहायक महानिदेशक-सदस्य</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
					(iii) वाणित्य स्नातक (iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ प्रधान निजी सचिव	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव 1. प्रोन्नति – प्राधिकरण में प्रधान निजी सचिव के रूप में न्यूनतम चार वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों; (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो। प्रधान निजी सचिव 1. प्रोन्नति – प्राधिकरण में निजी सचिव के रूप में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.-अध्यक्ष 2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक-सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
					या वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों; (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
निजी सचिव	40* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	1. 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. शेष प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	1. प्रोन्नति – प्राधिकरण में आशुलिपिक के रूप में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों; (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो सहायक महानिदेशक - सदस्य
आशुलिपिक	12* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रतिनियुक्ति – सह-आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अधिकतम 35 वर्ष	1. किसी भी विषय में स्नातक 2. आशुलिपि में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम 3. शैक्षिक अर्हता पूरा करने के पश्चात् तीन वर्ष का संगत कार्यानुभव।	प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 में	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो सहायक महानिदेशक - सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
					पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों; (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
सहायक निदेशक (राजभाषा)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति - सह-आमेलन द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	1. प्रोन्नति द्वारा - प्राधिकरण में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर न्यूनतम आठ वर्ष की नियमित सेवा 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा- (i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 7/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 6/ कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों; (iii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर की डिग्री या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.-अध्यक्ष 2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक-सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
					स्नातकोत्तर की डिग्री या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री (iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति - सह-आमेलन द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	1. प्रोन्नति द्वारा - प्राधिकरण में हिंदी टाइपिस्ट के पद पर न्यूनतम आठ वर्ष की नियमित सेवा 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा- (i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी/हिंदी विषय के साथ हिंदी /अंग्रेजी में स्नातक या समतुल्य या अनुवाद में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या अंग्रेजी से हिंदी व विलोमतः तकनीकी अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव (iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो सहायक महानिदेशक - सदस्य
हिंदी टाइपिस्ट	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रतिनियुक्ति - सह-आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	अधिकतम 35 वर्ष	1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी/ हिंदी विषय के साथ हिंदी/ अंग्रेजी में स्नातक या समतुल्य	प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो सहायक महानिदेशक - सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
		द्वारा		या अनुवाद में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 2. हिंदी टंकण की गति 30 शब्द प्रति मिनट	(ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
वाहन चालक	2* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% सीधी भर्ती	अधिकतम 40 वर्ष	1. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण; 2. मोटर वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो; 3. मोटर कार चलाने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव; और 4. हिंदी और अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान	लागू नहीं	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो सहायक महानिदेशक - सदस्य

पंकज कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./422/19]

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2020

Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020 (No. 1 of 2020)

No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No 1 of 2020).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 read with sub-section (1) of section 54 and clause (x) of sub-section (2) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), as amended vide the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 (14 of 2019), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations governing appointment of officers and other employees of the Authority, namely:—

Chapter I

Preliminary

- Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020.
(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Definitions.**—(1) In these regulations unless the context otherwise requires, —
 - “Act” means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), as amended vide the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 (14 of 2019);
 - “Appointing Authority” means Chief Executive Officer or such other officer to whom such powers and functions have been delegated by the Authority by general or special order;

- (c) “Authority” means Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of Section 11 of the Act;
- (d) “Chairperson” means the Chairperson of the Authority appointed on full-time or part-time basis under Section 12 of the Act;
- (e) “Chief Executive Officer” means Chief Executive Officer of the Authority appointed under Section 18 of the Act by the Central Government;
- (f) “Post” means any post in a grade whether permanent or temporary mentioned in the Schedule annexed to these regulations;
- (g) “Selection Committee” means a committee constituted to consider selection for appointment, absorption, promotion and deputation of officers and other employees in any grade in accordance with the Schedule to these regulations.

(2) The words and expressions used in these regulations, but not defined, shall have the same meaning as respectively assigned to them under the Act.

(3) For the purposes of these regulations, the terms ‘he’, ‘him’, ‘his’ and ‘himself’ shall also refer to ‘she’, ‘her’ and ‘herself’ wherever the context warrants and singular will also include plural.

3. Power to implement.—(1) The power to implement these regulations vests in the Chief Executive Officer or with such officer to whom powers have been delegated by the Authority.

(2) The powers exercisable under sub-regulation (1) shall also be exercisable by any superior entity including officer higher in precedence.

(3) The Chief Executive Officer or the officer to whom such powers have been vested shall be responsible for deciding on all complaints, grievances, disputes and other similar matters arising in the course of implementation of these regulations:

Provided that any officer or employee aggrieved of the decision may institute an appeal against such decision within forty five days of the issue of order conveying the decision before -

- (a) the Chief Executive Officer where such orders have been passed by an officer subordinate to him, or
- (b) the Authority where such orders have been passed by the Chief Executive Officer:

Provided further that the Chief Executive Officer shall not participate in the meeting of the Authority where an appeal on his decision is decided.

4. Constitution of Officers and Employees Cadre.—(1) The officers and employees cadre shall consist of:

- (a) any person absorbed at the time of initial constitution of the cadre of the Authority under regulation 5; and
- (b) any person appointed to a post under regulations 7, 8 and 9 after initial constitution of the cadre.

(2) Any person appointed under clause (a) of sub-regulation (1) of this regulation shall on such appointment be deemed to be a member of the cadre in the appropriate grade applicable to him from the date of his initial appointment with the Authority or the twelfth date of July 2016, whichever is later.

(3) The pay, on appointment in the Authority under this regulation, shall normally be fixed as per the relevant rules, regulations or instructions of the Central Government as applicable on the appointee or at the minimum of the pay in the respective level in the pay matrix. The Authority may, however, fix it at a higher point in the level keeping in view the seniority and pay already being drawn, higher academic qualifications or special experience of value to the Authority, by granting additional increments, not exceeding four in the pay matrix level fixed for the grade in which the appointment is made, on the recommendation of the Selection Committee.

Chapter II

Methods of Recruitment

5. Initial constitution of the Cadre.—(1) The cadre shall be formed initially by absorption of the officers and employees who immediately before the constitution of cadre were holding any post as listed in Schedule, subject to the said post available for absorption in the Schedule. An offer for absorption shall be given to such officers and employees, who are holding any post provided under the Schedule to the present regulations, and on exercise of option by such officer or employee, the Authority shall consider absorption subject to the provisions contained herein.

- (2) No person shall be considered for absorption, unless such person:
- (a) has completed three years of continuous service in the Authority; and
- (b) is free from disciplinary and vigilance angle.
- (3) The Appointing Authority may absorb any person referred to in sub-regulation (1), above:-
- (a) on recommendation of the Selection Committee and having regard to relative merit, suitability and requirement of such person in the Authority; and
- (b) in consultation with his parent Ministry or Department or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous Body, as the case may be, for absorption of such persons.
- (4) For determining relative merit, suitability and requirement of a person:
- (a) a brief of the eligible officers and employees, who exercise the option for absorption, indicating their past experience, performance reports, vigilance status, exceptional contributions etc., shall be placed for consideration of the Selection Committee; and
- (b) shortlisted officers and employees shall be required to submit brief write-ups on five exceptional contributions made during his/her service at the Authority, for consideration of the Selection Committee.
- (5) The Authority may prescribe such further conditions for said absorption, as it may deem fit from time to time.
- (6) The service rendered by the officers and employees in the Authority prior to the date of notification of these regulations shall be counted as regular service for the purpose of this regulation.

6. Method of Recruitment.—(1) After initial formation of the cadre, if any vacancy arises in any of the grades specified in the Schedule or if any new post is created in any of the grade, the same shall be filled up in the manner specified in the Schedule.

- (2) Selection in each case under clause (1) of this regulation shall be on the recommendations of the Selection Committee as specified in the Schedule.
- (3) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Appointing Authority may, from time to time prescribe:-
- (a) eligibility criteria in addition to the criteria specified in the Schedule hereto for selection of candidates for filling up the vacancies through different methods; and
- (b) procedure for appointment and promotion unless otherwise provided in these regulations.

7. Direct recruitment.— Selection of candidate for appointment to various posts which are to be filled up by direct recruitment shall be made as per the procedure laid down below:

- (a) The vacancies which are to be filled up shall be advertised at least in two leading national dailies and Authority's website.
- (b) A candidate must be a citizen of India or he must belong to such categories of persons as may from time to time be notified by the Government.
- (c) No person -
- (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (ii) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post under the Authority,

Provided that the Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- (d) Minimum qualifications and age limit for appointment to cadre by direct recruitment shall be as specified in the Schedule.
- (e) Officers and employees borne on the Authority's cadre and possessing requisite qualification and experience may also be eligible for applying for the posts to be filled on direct recruitment basis.
- (f) Orders and policies of the Central Government on reservation of posts for Schedule Castes, Schedule Tribes, other backward castes, economically weaker sections of citizens and other categories which may be applicable currently will apply to these posts.

(g) The employees of the Authority or Central or State Government or Administration of a Union Territory who have rendered five-year regular and continuous service as on the closing date of application shall be eligible for relaxation in upper age limit up to a maximum of five years.

(h) Applications which are not received by the last date mentioned in the advertisement or which are from candidates who do not satisfy the conditions laid down will not be entertained.

(i) From the remaining applications, the Authority will short-list the candidates who are to be called for the selection process which may include written test or technical assessment or interview or combination of these or any other process as determined by the Selection Committee.

Provided that the Authority may use the Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) score in the relevant discipline for short-listing of candidates for recruitment to the post of the Technical Officer and the Assistant Director (Technology).

(j) Final selection of the candidate(s) will be made by the Appointing Authority on the recommendation of the Selection Committee. The Selection Committee may give appropriate weightage to the candidate's performance in the selection process, his qualifications, job experience and such other criteria as it may deem fit.

(k) The Appointing Authority may maintain a panel of names of selected candidates in accordance with their performance in the selection process who may be offered employment against future vacancies in the concerned posts. Any such panel of names, if prepared and maintained, shall remain valid for a period not exceeding twelve months from the date of its approval by the Appointing Authority.

(l) A candidate who, after such medical examination as the Authority may prescribe, is found not to be in good mental or bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the service, shall not be appointed to the post. The fact that a candidate has been physically examined will not mean or imply that he shall be considered for appointment.

8. Permanent Absorption after Cadre Constitution.— The Appointing Authority may, from time to time, by appropriate order, appoint on permanent absorption basis any person already appointed and holding any post listed in the Schedule in the Authority and follow such conditions and procedure as provided in sub-regulation (2) to (4) of regulation 5.

9. Promotion.—(1) Appointment by promotion to different grades shall be made from the lower grades as specified in the Schedule.

(2) All promotions shall be made against sanctioned posts available as per Schedule hereto, by the Appointing Authority on recommendations of the Selection Committee based on suitability and relative merit.

Provided that in assessing the suitability and relative merit of an employee for promotion, performance of such employee in the post or grade, from where he is being considered for promotion, shall be considered and the Authority shall prepare a brief of the eligible officers and employees indicating their past experience, performance reports, vigilance status, exceptional contributions etc. for the consideration of the Selection Committee.

Provided that zone of consideration for promotion amongst the eligible candidates shall be three times the number of vacancies available and subject to availability of records for promotion of all such candidates shall be considered on the basis of their records for an equal period that may be determined by the Authority. If records of any candidate are not available for the period fixed, records of such candidate for first year preceding the said fixed period shall be considered. In case, records of first year preceding the fixed period is not available, then records for second year preceding the fixed period shall be considered. This principle shall be applied for all years for which records are not available. In case, as per abovementioned, requisite number of candidates is not available to constitute zone of consideration for available vacancy/vacancies, all the officers who are otherwise available shall be considered.

Provided further that promotion to the posts up to Level 11 shall be made on seniority cum merit, in accordance with the benchmark prescribed by the Authority. Provisions of immediately preceding proviso shall also apply to the promotion to the posts up to Level 11.

10. Seniority.—(1) The relative seniority of officers and employees appointed to any grade at the time of initial formation of the cadre shall be fixed by the Authority and unless decided otherwise on account of special reasons be governed by their relative seniority on the date of commencement of this regulation.

(2) In the case of a person who is initially taken on deputation or otherwise and absorbed later, his seniority in the post or grade in which he is absorbed will normally be counted from the date of issue of order for absorption. If he has, however, been holding already (on the date of absorption) the same or equivalent post

or grade on regular basis in his parent department such regular service in the post or grade shall also be taken into account in fixation of his seniority, subject to the condition that he will be given seniority from-

- (a) the date he has been holding the post on deputation or otherwise; or
- (b) the date from which he has been appointed on a regular basis to the same or equivalent post or grade in his parent department,

whichever is earlier:

Provided that the fixation of seniority of a transferee shall be in accordance with above principles shall, however, not affect any regular promotions to the grade made prior to the date of such absorption:

Provided further that the *inter se* seniority of similarly placed absorbees shall be determined by the order of merit assigned by the Selection Committee.

(3) The relative seniority of all direct recruits shall be determined by the order of merit in which they are selected for appointment for a specific post. The persons appointed as a result of an earlier selection shall rank senior to those appointed as a result of subsequent selection.

(4) Where promotions are made on the basis of recommendation of the Selection Committee, the seniority of such promotees shall be in the order in which they are recommended for such promotion by the Committee. Where promotions are made on the basis of seniority, subject to the rejection of the unfit, the seniority of persons considered fit for promotion shall be the same as the relative seniority in the lower grade from which they are promoted. Where, however, a person is considered unfit for promotion and is superseded by a junior, such persons shall not, if he is subsequently found suitable and promoted, take seniority in the higher grade over the junior persons who had superseded him.

(5) The seniority of an officer or employee not covered by the above provisions shall be determined by the Appointing Authority.

(6) Each year, the Authority shall prepare a list of the employees in its service showing their names in the order of their seniority containing such other particulars as the Appointing Authority may determine and a copy of such list shall be made available to each employee.

11. Deputation.—(1) The posts which are to be filled up by the method of deputation would be widely circulated among such Ministries or Departments of the Central Government, State Governments, Administration of Union Territories, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies which are expected to have people with the qualifications and experience matching the requirements of the Authority and willing to join the Authority on deputation.

(2) The selection of candidates for appointment on deputation basis shall be made on the recommendations of the Selection Committee.

(3) All appointments made on deputation in the Authority under these regulations shall initially be for a period not exceeding five years, which may be extended for such period and in such manner as prescribed by the Authority from time to time.

12. Probation.—(1) An officer or employee directly appointed to any post in the specified level of pay or promoted from one group to another shall be on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may, if he considers it necessary, extend the period of probation up to a period of one year for unsatisfactory performance or reduce or dispense with period of probation for reasons to be recorded in writing.

(3) Save as otherwise provided in this regulation, an officer or employee shall be deemed to have been confirmed in the post to which he has been appointed or promoted, as the case may be, on successful completion of the period of probation.

(4) During probation period, if an employee's performance is not found satisfactory, he may be discharged from the service of the Authority at one month's notice or by payment of substantive pay for one month in lieu thereof or reverted to the lower post, as the case may be, without assigning any reasons.

13. Contractual appointment.—(1) The posts which are to be filled up on contract basis shall be filled for a specified period on such terms and conditions and qualification criteria as specified by the Authority.

(2) The contractual appointment shall be made only in the exigency of work to meet the short term requirements.

14. Discharge of duties of higher grade and lower grade in certain cases.— The Competent Authority may, by order, having regard to the exigency of service, direct, -

- (a) to look after work of next higher grade for such period as may be specified in the order, to the officer or employee while he continues to hold a particular post and responsibility without any pecuniary benefit; or
- (b) an officer or employee, belonging to a higher grade in the cadre while holding such post, to look after the responsibilities relating to a post in the immediately lower grade without any pecuniary or other loss.

Chapter III

Miscellaneous

15. Power to relax.— Where the Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

16. Interpretation.— If any query relating to implementation of these regulations arise, they shall be decided by the Authority.

17. Removal of difficulties.— The Authority may from time to time issue such general or specific directions as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of these regulations

SCHEDULE

(Refer to Regulations 5, 6, 7, 8 and 9)

Name of the Post	Number of post	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Grade from which promotion/deputation is to be made	Composition of Selection Committee
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director General	17* (2020) * Subject to variation dependent on workload	1. 33% by promotion failing which by deputation 2. 33% by deputation-cum-absorption 3. Remaining by deputation or on contract basis	Not applicable	Not applicable	1. By promotion- At least four years of regular service as Assistant Director General or Assistant Director General (Technology) with the Authority. 2. By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; OR With four years of regular service in the Pay Matrix Level 13 or above. OR (ii) Officers from State/UT Government/ Public Sector Undertaking/Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Age below 56 years	1. Authority 2. Outside expert, if considered necessary by the Chairman of the Committee
Assistant Director General	42* (2020) * Subject to variation dependent on workload	1. 33% by promotion failing which by deputation 2. 33% by deputation-cum-absorption 3. Remaining by deputation or on contract basis	Not applicable	Not applicable	1. By promotion- At least eight years of regular service as Deputy Director with the Authority. 2. By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; OR With three years of regular service in the Pay Matrix Level 12 or above. OR (ii) Officers from State/UT Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Age below 56 years	1. Chief Executive Officer, UIDAI – Chairman 2. Two Deputy Directors Generals of UIDAI – Members 3. Outside expert, if considered necessary by the Chairman of the Committee

Name of the Post	Number of post	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Grade from which promotion/deputation is to be made	Composition of Selection Committee
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director	42* (2020) * Subject to variation dependent on workload	1. 50% by promotion failing which by deputation 2. Remaining by deputation-cum-absorption failing which by direct recruitment	Maximum: 45 years	1. Graduation in any discipline with any of the professional degree from an institution recognized by Government agencies: (a) Master in Business Administration/ Post Graduate Diploma in Business Administration (b) Masters in Computer Applications, (c) Chartered Accountant (d) Certified Management Accountant (e) Bachelor of Laws (LLB) (f) Post Graduation in Mass Communication (g) Degree equivalent to (a) to (f) (h) Any other professional degree relevant to the functions of the Authority as decided by the competent authority from time to time. OR Four year degree in engineering or technology from an institution recognized by Government agencies. 2. Six year of relevant work experience after obtaining educational qualification.	1. By promotion- At least six years of regular service as Section Officer with the Authority. 2. By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; OR With three years of regular service in the Pay Matrix Level 10; OR With five years of regular service in the Pay Matrix Level 9; OR With six years of regular service in the Pay Matrix Level 8; OR (ii) Officers from State/UT Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Age below 56 years	1. Chief Executive Officer, UIDAI – Chairman 2. Two Deputy Director Generals of UIDAI – Members
Section Officer	59* (2020) * Subject to variation dependent on workload	1. 50% by promotion failing which by deputation 2. 50% by deputation-	Maximum 35 years	Graduation in any discipline with five year of relevant work experience after obtaining educational	1. By promotion- At least six years of regular service as Assistant Section Officer with the Authority. 2. By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/	1. Deputy Director General – Chairman 2. Two Assistant

Name of the Post	Number of post	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Grade from which promotion/ deputation is to be made	Composition of Selection Committee
1	2	3	4	5	6	7
		cum-absorption failing which by direct recruitment		qualification. OR Graduation along with any of the professional degree from an institution recognized by Government agencies with three year post qualification work experience: (a) Master in Business Administration/ Post Graduate Diploma in Business Administration (b) Masters in Computer Applications, (c) Chartered Accountant (d) Certified Management Accountant (e) Bachelor of Laws (LLB) (f) Post Graduation in Mass Communication (g) Degree equivalent to (a) to (f) (h) Any other professional degree relevant to the functions of the Authority as decided by the competent authority from time to time.	department; OR With three years of regular service in the Pay Matrix Level 7; OR With five years of regular service in the Pay Matrix Level 6; OR (ii) Officers from State Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Age below 56 years	Director Generals –Members
Assistant Section Officer	54* (2020) * Subject to variation dependent on workload	100% by deputation-cum-absorption failing which by direct recruitment	Maximum 35 years	1. Graduation in any discipline 2. Minimum six month certificate course in computers 3. Three year of relevant work experience after obtaining educational qualification.	By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; OR With three years of regular service in the Pay Matrix Level 5; OR With five years of regular service in the Pay Matrix Level 4; OR With seven years of regular service in the Pay Matrix Level 3; OR (ii) Officers from State Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous	1. Deputy Director General –Chairman 2. Two Assistant Director Generals –Members

Name of the Post	Number of post	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Grade from which promotion/deputation is to be made	Composition of Selection Committee
1	2	3	4	5	6	7
					Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Age below 56 years.	
Assistant Director General (Technology)	9* (2020) * Subject to variation dependent on workload	1. 50% by promotion failing which by deputation 2. Remaining by deputation or on contract basis	Not applicable	Not applicable	1. By promotion – (i) At least four years of regular service as Assistant Director General (Technology – DS Level) with the Authority. (ii) At least eight years of regular service as Deputy Director (Technology) with the Authority. 2. By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; OR With three years of regular service in the Pay Matrix Level 12 or above. OR (ii) Officers from State/UT Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Four year degree in engineering or technology in computer sciences, information technology or electronics or Masters degree in computer applications from an institution recognized by Government agencies. (iv) Age below 56 years	1. Chief Executive Officer, UIDAI – Chairman 2. Two Deputy Director Generals of UIDAI – Members 3. Outside expert, if considered necessary by the Chairman of the Committee
Assistant Director General (Technology – DS Level)	1* (2020) * Subject to variation dependent on workload	100% by deputation-cum-absorption	Not applicable	Not applicable	1. By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; OR With four years of regular service in the Pay Matrix Level 11 or above. OR (ii) Officers from State/UT Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Four year degree in engineering or technology in computer sciences, information technology or electronics or Masters degree in computer applications from an institution recognized by Government agencies. (iv) Age below 56 years	1. Chief Executive Officer, UIDAI – Chairman 2. Two Deputy Director Generals of UIDAI – Members
Deputy Director (Technology)	10* (2020) * Subject to variation dependent on workload	1. 50% by promotion failing which by deputation 2. Remaining by deputation-cum-absorption	Maximum: 45 years	1. Four year degree in engineering or technology in computer sciences, information technology or electronics or	1. By promotion- At least three years of regular service as Assistant Director (Technology) with the Authority. 2. By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department;	1. Chief Executive Officer, UIDAI – Chairman 2. Two Deputy

Name of the Post	Number of post	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Grade from which promotion/deputation is to be made	Composition of Selection Committee
1	2	3	4	5	6	7
		failing which by direct recruitment		Masters degree in computer applications from an institution recognized by Government agencies. 2. Six year of relevant work experience after obtaining educational qualification.	OR With three years of regular service in the Pay Matrix Level 10; OR With five years of regular service in the Pay Matrix Level 9; OR With six years of regular service in the Pay Matrix Level 8; OR (ii) Officers from State/UT Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Possessing educational qualification prescribed for direct recruitment. (iv) Age below 56 years	Director Generals of UIDAI – Members
Assistant Director (Technology)	10* (2020) * Subject to variation dependent on workload	1. 50% by promotion failing which by deputation 2. Remaining by direct recruitment failing which by deputation	Maximum: 30 years	Four year degree in engineering or technology in computer sciences, information technology or electronics or Masters degree in computer applications from an institution recognized by Government agencies.	1. By promotion- At least three years of regular service as Technical Officer with the Authority. 2. By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; OR With three years of regular service in the Pay Matrix Level 9; OR With four years of regular service in the Pay Matrix Level 8; OR With six years of regular service in the Pay Matrix Level 7; OR (ii) Officers from State/UT Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Possessing educational qualification prescribed for direct recruitment. (iv) Age below 56 years	1. Chief Executive Officer, UIDAI – Chairman 2. Two Deputy Director Generals of UIDAI – Members
Technical Officer	14* (2020) * Subject to variation dependent on workload	100% by deputation-cum-absorption failing which by direct recruitment	Maximum 35 years	Four year degree in engineering or technology in computer sciences, information technology or electronics or Masters degree in computer applications from an institution recognized by Government agencies.	By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department OR With three years of regular service in the Pay Matrix Level 7. OR With five years of regular service in the Pay Matrix Level 6. OR (ii) Officers from State Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite	1. Deputy Director General – Chairman 2. Two Assistant Director Generals – Members

Name of the Post	Number of post	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Grade from which promotion/deputation is to be made	Composition of Selection Committee
1	2	3	4	5	6	7
					experience. (iii) Possessing educational qualification prescribed for direct recruitment. (iv) Age below 56 years	
Senior Accounts Officer	10* (2020) * Subject to variation dependent on workload	1. 50% by promotion failing which by deputation 2. Remaining by deputation-cum-absorption	Not applicable	Not applicable	1. By promotion- At least five years of regular service as Assistant Accounts Officer with the Authority. 2. By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department OR With two years of regular service in the Pay Matrix Level 9. OR With five years of regular service in the Pay Matrix Level 8. OR (ii) Officers from State Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Professional qualifications of Chartered Accountant/Cost Accountant/MBA (Finance) OR Having passed SAS/equivalent examination of organised Accounts Cadre of Central/State Government OR Having successfully completed Cash & Accounts Training organised by ISTM; (iii) Age below 56 years	1. Chief Executive Officer, UIDAI – Chairman 2. Two Deputy Director Generals of UIDAI – Members
Assistant Accounts Officer	10* (2020) * Subject to variation dependent on workload	1. 50% by promotion failing which by deputation 2. Remaining by deputation-cum-absorption failing which by direct recruitment	Maximum: 45 years	1. Graduation in Commerce 2. Professional qualifications of Chartered Accountant/Cost Accountant/MBA (Finance) OR Having passed SAS/equivalent examination of organised Accounts Cadre of Central/State Government 3. Having at least five years' experience in handling accounts related work.	1. By promotion- At least eight years of regular service as Accountant with the Authority. 2. By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department OR With three years of regular service in the Pay Matrix Level 7. OR With five years of regular service in the Pay Matrix Level 6. OR (ii) Officers from State Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Professional qualifications of Chartered Accountant/Cost Accountant/MBA (Finance) OR Having passed SAS/equivalent	1. Deputy Director General – Chairman 2. Two Assistant Director Generals –Members

Name of the Post	Number of post	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Grade from which promotion/ deputation is to be made	Composition of Selection Committee
1	2	3	4	5	6	7
					examination of organised Accounts Cadre of Central/State Government OR Having successfully completed Cash & Accounts Training organised by ISTM; OR Having at least five years' experience in handling accounts related work. (iv) Age below 56 years	
Accountant	12* (2020) * Subject to variation dependent on workload	100% by deputation-cum-absorption failing which by direct recruitment	Maximum 30 years	Graduation in Commerce	By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department OR With three years of regular service in the Pay Matrix Level 4. OR With five years of regular service in the Pay Matrix Level 3. OR Officers from State Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (ii) Graduate in Commerce; (iii) Age below 56 years	1. Deputy Director General –Chairman 2. Two Assistant Director Generals –Members
Senior Principal Private Secretary / Principal Private Secretary	1* (2020) * Subject to variation dependent on workload	100% by promotion failing which by deputation	Not applicable	Not applicable	Senior Principal Private Secretary 1. By promotion – At least four years of regular service as Principal Private Secretary with the Authority 2. By deputation – (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; OR With three years of regular service in the Pay Matrix Level 11 OR With six years of regular service in the Pay Matrix Level 10 OR (ii) Officers from State Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Age below 56 years Principal Private Secretary 1. By promotion – At least six years of regular service as Private Secretary with the Authority 2. By deputation – (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department OR With three years of regular service in the Pay Matrix Level 10.	1. Chief Executive Officer, UIDAI – Chairman 2. Two Deputy Director Generals of UIDAI –Members

Name of the Post	Number of post	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Grade from which promotion/ deputation is to be made	Composition of Selection Committee
1	2	3	4	5	6	7
					OR With five years of regular service in the Pay Matrix Level 9. OR With seven years of regular service in the Pay Matrix Level 8. OR (ii) Officers from State Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Age below 56 years	
Private Secretary	40* (2020) * Subject to variation dependent on workload	1. 50% by promotion failing which by deputation 2. Remaining by deputation-cum-absorption	Not applicable	Not applicable	1. By promotion- At least six years of regular service as Steno with the Authority. 2. By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department OR With three years of regular service in the Pay Matrix Level 7. OR With five years of regular service in the Pay Matrix Level 6. OR (ii) Officers from State Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Age below 56 years	1. Deputy Director General —Chairman 2. Two Assistant Director Generals —Members
Steno	12* (2020) * Subject to variation dependent on workload	100% by deputation-cum-absorption failing which by direct recruitment	Maximum 35 years	1. Graduation in any discipline 2. Certificate course in stenography 3. Three year of relevant work experience after obtaining educational qualification.	By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department OR With three years of regular service in the Pay Matrix Level 5. OR With five years of regular service in the Pay Matrix Level 4 OR With seven years of regular service in the Pay Matrix Level 3 OR (ii) Officers from State Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Age below 56 years	1. Deputy Director General — Chairman 2. Two Assistant Director Generals — Members
Assistant Director (Official Language)	1* (2020) * Subject to variation	100% by promotion failing which by deputation-cum-absorption	Not applicable	Not applicable	1. By promotion – At least eight years of regular service as Junior Translation Officer with the Authority. 2. By deputation –(i) Officers from the Central Government holding analogous	1. Chief Executive Officer, UIDAI — Chairman

Name of the Post	Number of post	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Grade from which promotion/deputation is to be made	Composition of Selection Committee
1	2	3	4	5	6	7
	dependent on workload				posts on regular basis in the Parent cadre/department. OR With four years of regular service in the Pay Matrix Level 7/Senior Translation Officer., OR With seven years of regular service in the Pay Matrix Level 6/Junior Translation Officer. OR (ii) Officers from State Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Master's Degree of a recognized University in Hindi with English as a subject at the Degree level., OR Master's Degree of a recognized University in English with Hindi as a subject at the Degree level; OR Master's Degree of a recognized University in any subject with Hindi and English as subjects at the Degree level; (iv) Age below 56 years.	2. Two Deputy Director Generals of UIDAI –Members
Junior Translation Officer	1* (2020) * Subject to variation dependent on workload	100% by promotion failing which by deputation-cum-absorption	Not applicable	Not applicable	1. By promotion – At least eight years of regular service as Hindi Typist with the Authority. 2. By deputation – (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the Parent cadre/department; OR With three years of regular service in the Pay Matrix Level 5 OR (ii) Officers from State Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Degree from recognized University or equivalent in Hindi/English with English/Hindi as a subject. OR Diploma/Certificate course in translation OR Two years' experience of technical translation from Hindi to English and vice-versa (iv) Age below 56 years	1. Deputy Director General – Chairman 2. Two Assistant Director Generals – Members
Hindi Typist	1* (2020) * Subject to variation	100% by deputation-cum-absorption failing which	Maximum 35 years	1. Degree from recognized University or equivalent in	By deputation – (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the Parent cadre/department;	1. Deputy Director General – Chairman

Name of the Post	Number of post	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Grade from which promotion/ deputation is to be made	Composition of Selection Committee
1	2	3	4	5	6	7
	dependent on workload	by direct recruitment		Hindi/English with English/Hindi as a subject. OR Senior Secondary with Diploma/ Certificate course in translation 2. Hindi typing speed of 30 words per minute	OR (ii) Officers from State Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience. (iii) Age below 56 years	2. Two Assistant Director Generals –Members
Driver	2* (2020) * Subject to variation dependent on workload	100% by direct recruitment	Maximum 40 years	1. 10th standard passed; 2. Possession of a valid driving license for motor cars; 3. Experience of driving a motor car at least for three years; and 4. Working knowledge of Hindi or English.	Not applicable.	1. Deputy Director General – Chairman 2. Two Assistant Director Generals – Members

PANKAJ KUMAR, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./422/19]